



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11112022-240205
CG-DL-E-11112022-240205

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 571]
No. 571]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 11, 2022/कार्तिक 20, 1944
NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 11, 2022/KARTIKA 20, 1944

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान
(संसदीय अधिनियम द्वारा स्थापित)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 11 नवम्बर, 2022
(चार्टर्ड अकाउंटेंट्स)

सं. पीआर/194/13-डीडी/225/13/डीसी/587/2017.—चार्टर्ड अकाउंटेंट (वृत्तिक और अन्य कदाचार के अन्वेषणों और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007 के नियम 18(17) और 19(1) के साथ पठित, चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 21ख(3) के उपबंधों के निबंधनानुसार अनुशासन समिति ने, सीए. गणपति शिवप्रकाश (सदस्यता संख्या 024556), नंबर 5 (पुराना नंबर 2), 5वां क्रॉस स्ट्रीट, वेस्ट शेनॉय नगर, चेन्नई- 600 030 को, पूर्वोक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची के भाग 1 की मद (6), (7) और (8) के अर्थान्तर्गत वृत्तिक कदाचार का दोषी पाया है और इसके परिणामस्वरूप उपर्युक्त सीए. गणपति शिवप्रकाश (सदस्यता संख्या 024556) के नाम को 02 (दो) वर्ष की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटाने का आदेश दिया है। अतः अनुशासन समिति के पूर्वोक्त आदेश के अनुसरण में और पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए चार्टर्ड अकाउंटेंट विनियम, 1988 के विनियम 18 के अधीन यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त सीए. गणपति शिवप्रकाश (सदस्यता संख्या 024556) का नाम, 30 सितंबर, 2022 से 02 (दो) वर्ष की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटा दिया गया था। समिति के इस आदेश से व्यथित होकर प्रत्यर्थी ने चार्टर्ड अकाउंटेंट विनियम, 1949 के विनियम 22(छ) के निबंधनानुसार उसके विरुद्ध एक अपील फाइल की और अपीलीय प्राधिकरण ने 11 अक्टूबर, 2022 को सुनाए गए अपने आदेश के द्वारा नाम हटाए जाने की अवधि को संशोधित करके 02(दो) वर्ष से 01(एक) वर्ष कर दिया था। तदनुसार, अपीलीय प्राधिकरण

के उक्त आदेश के अनुसरण में तारीख 30 सितंबर, 2022 की उस अधिसूचना, जिसके द्वारा सीए. गणपति शिवप्रकाश (सदस्यता संख्या 024556) का नाम 02 (दो) वर्ष की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटा दिया गया था, को उस सीमा तक उपांतरित किया जाता है कि उक्त सीए. गणपति शिवप्रकाश (सदस्यता संख्या 024556) का नाम तारीख 30 सितंबर, 2022 से 02 (दो) वर्ष के स्थान पर 01(एक) वर्ष की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटा दिया गया है।

सीए. (डॉ.) जय कुमार बत्रा, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./394/2022-23]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

(Set up by an Act of Parliament)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th November, 2022

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

No. PR/194/13-DD/225/13/DC/587/2017.—In terms of the provisions of Section 21B(3) of the Chartered Accountants Act, 1949 read with Rules 18(17) and 19(1) of the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007, the Disciplinary Committee has held **CA. Ganapathy Sivaprakash (Membership No. 024556), No. 5 (Old No. 2), 5th Cross Street, West Shenoy Nagar, CHENNAI- 600 030**, guilty of Professional Misconduct falling within the meaning of Clauses (6), (7) and (8) of Part I of Second Schedule to the aforesaid Act and consequently ordered for removal of name of **CA. Ganapathy Sivaprakash (Membership No. 024556)** from the Register of Members for a period of 02(Two) years. In pursuance of the aforesaid Order of the Disciplinary Committee and in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of the aforesaid Act, read with Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations 1988, the name of **CA. Ganapathy Sivaprakash (Membership No. 024556)** was removed from the Register of Members for a period of 02(Two) years with effect from 30th September, 2022. Aggrieved by Order of the Committee, the Respondent preferred an Appeal in terms of Section 22G of the Chartered Accountants Act, 1949 and the Appellate Authority vide its order pronounced on 11th October, 2022 had modified the period of removal of name from 02(two) years to 01(one) year. Accordingly, in pursuance of the said order of the Appellate Authority, the notification dated 30th September, 2022 wherein the name of **CA. Ganapathy Sivaprakash (Membership No. 024556)** was removed from the Register of Members for a period of 2(two) years is hereby modified to the extent that the name of **CA. Ganapathy Sivaprakash (Membership No. 024556)** stands removed for a period of 01(one) year instead of 02(two) years w.e.f. 30th September, 2022.

CA.(Dr.) JAI KUMAR BATRA, Secy.

[ADVT.-III/4/Ext'y./394/2022-23]



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11112022-240206
CG-DL-E-11112022-240206

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 572]
No. 572]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 11, 2022/कार्तिक 20, 1944
NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 11, 2022/KARTIKA 20, 1944

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान
(संसदीय अधिनियम द्वारा स्थापित)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 नवम्बर, 2022

(चार्टर्ड अकाउंटेंट्स)

सं. पीपीआर/पी/44/डब्ल्यू/13-डीडी/37/डब्ल्यू/आईएनएफ/13-डीसी/555/17.— चार्टर्ड एकाउंटेंट्स (वृत्तिक और अन्य कदाचार के अन्वेषणों और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007 के नियम 18(17) और 19(1) के साथ पठित, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 21ख(3) के उपबंधों के निबंधनानुसार अनुशासन समिति ने, सीए. सुनील दौलतराम जैथवार (सदस्यता संख्या 041315), ए 101, प्रथम तल, साई दर्शन काम्पलेक्स, रोड नंबर 1, ममलातदार वाडी, मलाड (पश्चिम), मुंबई-400 064 को, पूर्वोक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची के भाग 1 के खंड (7) के अर्थान्तर्गत वृत्तिक कदाचार का दोषी पाया है और इसके परिणामस्वरूप उपर्युक्त सीए. सुनील दौलतराम जैथवार (सदस्यता संख्या 041315) के नाम को 03 (तीन) वर्ष की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटाने का आदेश दिया है और 1,00,000/- रुपए (केवल एक लाख रुपए) का जुर्माना भी अधिरोपित किया है, जिसका भुगतान 30 दिनों के भीतर किया जाना है और जिसकी अभिपुष्टि अपीलीय प्राधिकरण द्वारा 7 अक्टूबर, 2022 को सुनाए गए अपने आदेश द्वारा की गई है। अतः अनुशासन समिति के पूर्वोक्त आदेश के अनुसरण में और चार्टर्ड अकाउंटेंट विनियम, 1988 के विनियम 18 के

साथ पठित पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त सीए. सुनील दौलतराम जैथवार (सदस्यता संख्या 041315) का नाम, 11 नवंबर, 2022 से 03 (तीन) वर्ष की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हट जाएगा।

सीए. (डॉ.) जय कुमार बत्रा, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./395/2022-23]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

(Set up by an Act of Parliament)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th November, 2022

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

No. PPR/P/44/W/13-DD/37/W/INF/13-DC/555/17.—In terms of the provisions of Section 21B(3) of the Chartered Accountants Act, 1949 read with Rules 18(17) and 19(1) of the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007, the Disciplinary Committee has held **CA. Sunil Daulatram Jaithwar (Membership No. 041315), A 101, 1st Floor, Sai Darshan Complex, Road No. 1, Mamlatdar Wadi, Malad(West), MUMBAI 400 064**, guilty of Professional Misconduct falling within the meaning of Clause (7) of Part I of the Second Schedule to the aforesaid Act and consequently ordered for removal of the name of aforesaid **CA. Sunil Daulatram Jaithwar (Membership No. 041315)** from the Register of Members for a period of 03(three) years and also imposed a fine of Rs. 1,00,000/-(Rs. One Lakh only) to be paid within 30 day, which is also upheld by the Appellate Authority vide its order pronounced on 7th October, 2022. In pursuance of the aforesaid Order of the Disciplinary Committee and in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of the aforesaid Act, read with Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations 1988, it is hereby notified that the name of **CA. Sunil Daulatram Jaithwar (Membership No. 041315)** shall stand removed from the Register of Members for a period of 03(three) years with effect from 11th November, 2022.

CA.(Dr.) JAI KUMAR BATRA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./395/2022-23]



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11112022-240207
CG-DL-E-11112022-240207

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 574]
No. 574]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 11, 2022/कार्तिक 20, 1944
NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 11, 2022/KARTIKA 20, 1944

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान
(संसदीय अधिनियम द्वारा स्थापित)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 11 नवम्बर, 2022
(चार्टर्ड अकाउंटेंट्स)

सं. पीआर/166/18-डीडी/243/2018/डीसी/1423/2021.—चार्टर्ड अकाउंटेंट (वृत्तिक और अन्य कदाचार के अन्वेषणों और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007 के नियम 18(17) और 19(1) के साथ पठित, चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 21ख(3) के उपबंधों के निबंधनानुसार अनुशासन समिति ने, सीए. ए अमरनाथ (सदस्यता संख्या 213629), संख्या 3440, जी 1, एस आर हार्मनी, चौथा क्रॉस, 10वां मुख्य, इंदिरानगर, एच ए एल, दूसरा चरण, बेंगलुरु (कर्नाटक) 560038 को, पूर्वोक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची के भाग 1 की मद (5), (6), (7), (8) और (9) और पहली अनुसूची के भाग 4 की मद (2) के अर्थान्तर्गत वृत्तिक और अन्य कदाचार का दोषी पाया है और इसके परिणामस्वरूप उपर्युक्त सीए. ए अमरनाथ (सदस्यता संख्या 213629) के नाम को 06 (छह) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटाने का आदेश दिया है और 50,000/- रुपए (केवल पचास हजार रुपए) का जुर्माना भी अधिरोपित किया है, जिसका संदाय 3 मास के भीतर किया जाना है और अनुबंधित समय के भीतर जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम की दशा में उसके नाम को अतिरिक्त 01 (एक) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटा दिया जाएगा। चूंकि, प्रत्यर्थी ने पहले ही अनुबंधित समय के भीतर अधिरोपित जुर्माने का संदाय कर दिया है, अतः अनुशासन समिति के पूर्वोक्त आदेश के अनुसरण में और चार्टर्ड अकाउंटेंट विनियम, 1988 के विनियम 18 के साथ पठित पूर्वोक्त अधिनियम की

धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त सीए. ए. अमरनाथ (सदस्यता संख्या 213629) का नाम, 11 नवंबर, 2022 से 06 (छह) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हट जाएगा।

सीए. (डॉ.) जय कुमार बत्रा, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./397/2022-23]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

(Set up by an Act of Parliament)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th November, 2022

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

No. PR/166/18-DD/243/2018/DC/1423/2021.—In terms of the provisions of Section 21B(3) of the Chartered Accountants Act, 1949 read with Rules 18(17) and 19(1) of the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007, the Disciplinary Committee has held **CA. A Amaranath (Membership No. 213629), No. 3440, G1, S R Harmoney, 4th Cross, 10th Main, Indiranagar, H A L, 2nd Stage, BENGALURU (Karnataka) 560038**, guilty of Professional and Other Misconduct falling within the meaning of Items (5),(6), (7),(8) and (9) of Part I of Second Schedule and Item (2) of Part IV of First Schedule to the aforesaid Act and consequently ordered for removal of name of **CA. A Amaranath (Membership No. 213629)** from the Register of Members for a period of 06(Six) months and also imposed a fine of Rs. 50,000/- (Rupees Fifty Thousand Only) to be paid within 3 (three) months and in case of default in payment of fine within stipulated time, his name be removed for additional 1(one) month period. Since the Respondent has already paid the imposed fine within stipulated time, in pursuance of the aforesaid Order of the Disciplinary Committee and in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of the aforesaid Act, read with Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations 1988, it is hereby notified that the name of **CA. A Amaranath (Membership No. 213629) shall stand removed from the Register of Members for a period of 06 (Six) months with effect from 11th November, 2022.**

CA.(Dr.) JAI KUMAR BATRA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./397/2022-23]



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11112022-240210
CG-DL-E-11112022-240210

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 563]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 11, 2022/कार्तिक 20, 1944

No. 563]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 11, 2022/KARTIKA 20, 1944

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान
(संसदीय अधिनियम द्वारा स्थापित)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 नवम्बर, 2022

(चार्टर्ड अकाउंटेंट्स)

सं. पीआर/138/17/डीडी/190/17/डीसी/1146/2019 : चार्टर्ड अकाउंटेंट (वृत्तिक और अन्य कदाचार के अन्वेषणों और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007 के नियम 18(17) और 19(1) के साथ पठित, चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 21ख(3) के उपबंधों के निबंधनानुसार अनुशासन समिति ने, सीए. दीपक दिनेश अग्रवाल (सदस्यता संख्या 137053), ई-1, सुप्रभात अपार्टमेंट, गुलाब टॉवर के पास, कम्बव ग्रांड रोड, अहमदाबाद 380054 को, पूर्वोक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची के भाग 1 की मद (7) के अर्थान्तर्गत वृत्तिक कदाचार का दोषी पाया है और इसके परिणामस्वरूप उपर्युक्त सीए. दीपक दिनेश अग्रवाल (सदस्यता संख्या 137053) के नाम को 01 (एक) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटाने का आदेश दिया है। अतः अनुशासन समिति के पूर्वोक्त आदेश के अनुसरण में और चार्टर्ड अकाउंटेंट विनियम, 1988 के विनियम 18 के साथ पठित पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त सीए. दीपक दिनेश अग्रवाल (सदस्यता संख्या 137053) का नाम, 11 नवंबर, 2022 से 01 (एक) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हट जाएगा।

सीए. (डा.) जय कुमार बत्रा, सचिव
[विज्ञापन III/4/असा./386/2022-23]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

(Set up by an Act of Parliament)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th November, 2022

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

No. PR/138/17/DD/190/17/DC/1146/2019: In terms of the provisions of Section 21B(3) of the Chartered Accountants Act, 1949 read with Rules 18(17) and 19(1) of the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007, the Disciplinary Committee has held **CA. Deepak Dinesh Agrawal (Membership No. 137053), E-1, Suprabhat Apartment, Near Gulab Tower, Cambay Grand Road, AHMEDABAD 380054**, guilty of Professional Misconduct falling within the meaning of Item (7) of Part I of Second Schedule to the aforesaid Act and consequently ordered for removal of name of **CA. Deepak Dinesh Agrawal (Membership No. 137053)** from the Register of Members for a period of 01(One) month. In pursuance of the aforesaid Order of the Disciplinary Committee and in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of the aforesaid Act, read with Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations 1988, it is hereby notified that the name of **CA. Deepak Dinesh Agrawal (Membership No. 137053)** shall stand removed from the Register of Members for a period of 01(One) month with effect from 11th November, 2022.

CA. (Dr.) JAI KUMAR BATRA, Secy.

[ADVT.-III/4/Ext./386/2022-23]



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11112022-240211
CG-DL-E-11112022-240211

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 564]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 11, 2022/कार्तिक 20, 1944

No. 564]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 11, 2022/KARTIKA 20, 1944

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान
(संसदीय अधिनियम द्वारा स्थापित)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 नवम्बर, 2022

(चार्टर्ड अकाउंटेंट्स)

सं. पीआर/57/17-डीडी/89/2017/डीसी/1421/2021:—चार्टर्ड अकाउंटेंट (वृत्तिक और अन्य कदाचार के अन्वेषणों और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007 के नियम 18(17) और 19(1) के साथ पठित, चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 21ख(3) के उपबंधों के निबंधनानुसार अनुशासन समिति ने, सीए. पीटर जया राव (सदस्यता संख्या 210919), 39/1, 12 वीं क्रॉस, सेंट मैरी रोड, एन आर मोहल्ला, मैसूर (कर्नाटक) 570007 को, पूर्वोक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची के भाग 1 की मद (7) और पहली अनुसूची के भाग 4 की मद (2) के अर्थान्तर्गत वृत्तिक और अन्य कदाचार का दोषी पाया है और इसके परिणामस्वरूप उपर्युक्त सीए. पीटर जया राव (सदस्यता संख्या 210919) के नाम को 01 (एक) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटाने का आदेश दिया है। अतः अनुशासन समिति के पूर्वोक्त आदेश के अनुसरण में और चार्टर्ड अकाउंटेंट विनियम, 1988 के विनियम 18 के साथ पठित पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त सीए. पीटर जया राव (सदस्यता संख्या 210919) का नाम, 11 नवंबर, 2022 से 01 (एक) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हट जाएगा।

सीए. (डा.) जय कुमार बत्रा, सचिव
[विज्ञापन III/4/असा./387/2022-23]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

(Set up by an Act of Parliament)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11 November, 2022

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

No. PR/57/17-DD/89/2017/DC/1421/2021:—In terms of the provisions of Section 21B(3) of the Chartered Accountants Act, 1949 read with Rules 18(17) and 19(1) of the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007, the Disciplinary Committee has held **CA. Peter Jaya Rao (Membership No. 210919), 39/1, 12th Cross, St. Marys Road, N R Mohalla, MYSURU (Karnataka) 570007**, guilty of Professional and Other Misconduct falling within the meaning of Item (7) of Part I of Second Schedule and Item (2) of Part IV of First Schedule to the aforesaid Act and consequently ordered for removal of name of **CA. Peter Jaya Rao (Membership No. 210919)** from the Register of Members for a period of 01(One) month. In pursuance of the aforesaid Order of the Disciplinary Committee and in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of the aforesaid Act, read with Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations 1988, it is hereby notified that the name of **CA. Peter Jaya Rao (Membership No. 210919)** shall stand removed from the Register of Members for a period of 01(One) month with effect from 11th November, 2022.

CA. (Dr.) JAI KUMAR BATRA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./387/2022-23]



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11112022-240212
CG-DL-E-11112022-240212

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 565]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 11, 2022/कार्तिक 20, 1944

No. 565]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 11, 2022/KARTIKA 20, 1944

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान
(संसदीय अधिनियम द्वारा स्थापित)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 नवम्बर, 2022

(चार्टर्ड अकाउंटेंट्स)

सं. पीआर/174ए/17-डीडी/229/2017/डीसी/1351/2020.—चार्टर्ड अकाउंटेंट (वृत्तिक और अन्य कदाचार के अन्वेषणों और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007 के नियम 18(17) और 19(1) के साथ पठित, चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 21ख(3) के उपबंधों के निबंधनानुसार अनुशासन समिति ने, सीए. तिरुवीधि पार्थसारथी (सदस्यता संख्या 013477), प्लॉट नंबर 67, पैघा कॉलोनी, एस पी रोड, सिकंदराबाद (आंध्र प्रदेश) 500003 को, पूर्वोक्त अधिनियम की पहली अनुसूची के भाग 1 की मद (8) और (9) तथा दूसरी अनुसूची के भाग 1 की मद (5) और (7) के अर्थान्तर्गत वृत्तिक कदाचार का दोषी पाया है और इसके परिणामस्वरूप उपर्युक्त सीए. तिरुवीधि पार्थसारथी (सदस्यता संख्या 013477) के नाम को 03 (तीन) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटाने का आदेश दिया है और 25,000/- रुपए (केवल पच्चीस हजार रुपए) का जुर्माना भी अधिरोपित किया है, जिसका संदाय 3 मास के भीतर किया जाना है और अनुबंधित समय के भीतर जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम की दशा में उसके नाम को अतिरिक्त 01 (एक) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटा दिया जाएगा। चूंकि, प्रत्यर्थी ने पहले ही अनुबंधित समय के भीतर अधिरोपित जुर्माने का संदाय कर दिया है, अतः अनुशासन समिति के पूर्वोक्त आदेश के अनुसरण में और चार्टर्ड अकाउंटेंट विनियम, 1988 के विनियम 18 के साथ पठित पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का

प्रयोग करते हुए यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त सीए. तिरुवीधि पार्थसारधी (सदस्यता संख्या 013477) का नाम, 11 नवंबर, 2022 से 03 (तीन) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हट जाएगा।

सीए. (डा.) जय कुमार बत्रा, सचिव
[विज्ञापन III/4/असा./388/2022-23]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

(Set up by an Act of Parliament)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th November, 2022

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

No. PR/174A/17-DD/229/2017/DC/1351/2020.—In terms of the provisions of Section 21B(3) of the Chartered Accountants Act, 1949 read with Rules 18(17) and 19(1) of the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007, the Disciplinary Committee has held **CA. Thiruveedhi Parthasaradhi (Membership No. 013477), Plot No. 67, Paigha Colony, S P Road, SECUNDERABAD (Andhra Pradesh) 500003**, guilty of Professional Misconduct falling within the meaning of Items (8) and (9) of Part I of First Schedule and Items (5) and (7) of Part I of Second Schedule to the aforesaid Act and consequently ordered for removal of name of **CA. Thiruveedhi Parthasaradhi (Membership No. 013477)** from the Register of Members for a period of 03(Three) months and also imposed a fine of Rs. 25,000/- (Rupees Twenty Five Thousand Only) to be paid within 3 (three) months and in case of default in payment of fine within stipulated time his name be removed for a period of additional 1(one) month. Since the Respondent has already paid the imposed fine within stipulated time, in pursuance of the aforesaid Order of the Disciplinary Committee and in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of the aforesaid Act, read with Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations 1988, it is hereby notified that the name of **CA. Thiruveedhi Parthasaradhi (Membership No. 013477)** shall stand removed from the Register of Members for a period of 03(Three) months with effect from 11th November, 2022.

CA. (Dr.) JAI KUMAR BATRA, Secy.
[ADVT.-III/4/Ext./388/2022-23]



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11112022-240213
CG-DL-E-11112022-240213

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 566]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 11, 2022/कार्तिक 20, 1944

No. 566]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 11, 2022/KARTIKA 20, 1944

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान
(संसदीय अधिनियम द्वारा स्थापित)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 नवम्बर, 2022

(चार्टर्ड अकाउंटेंट्स)

सं. पीआर-249/2018-डीडी/261/2018-डीसी/1383/2020:—चार्टर्ड अकाउंटेंट (वृत्तिक और अन्य कदाचार के अन्वेषणों और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007 के नियम 18(17) और 19(1) के साथ पठित, चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 21ख(3) के उपबंधों के निबंधनानुसार अनुशासन समिति ने, सीए. सी वी किचूर (सदस्यता संख्या 006970), अनु-वीर-पार्क, बसव नगर, क्लब रोड, बेलगावी (कर्नाटक) 590001 को, पूर्वोक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची के भाग 1 की मद (7) और (8) के अर्थान्तर्गत वृत्तिक कदाचार का दोषी पाया है और इसके परिणामस्वरूप उपर्युक्त सीए. सी वी किचूर (सदस्यता संख्या 006970) के नाम को 06 (छह) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटाने का आदेश दिया है। अतः अनुशासन समिति के पूर्वोक्त आदेश के अनुसरण में और चार्टर्ड अकाउंटेंट विनियम, 1988 के विनियम 18 के साथ पठित पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त सीए. सी वी किचूर (सदस्यता संख्या 006970) का नाम, 11 नवंबर, 2022 से 06 (छह) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हट जाएगा।

सीए. (डा.) जय कुमार बत्रा, सचिव
[विज्ञापन III/4/असा./389/2022-23]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

(Set up by an Act of Parliament)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th November, 2022

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

No. PR-249/2018-DD/261/2018-DC/1383/2020:—In terms of the provisions of Section 21B(3) of the Chartered Accountants Act, 1949 read with Rules 18(17) and 19(1) of the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007, the Disciplinary Committee has held **CA. C V Kittur (Membership No. 006970), Anu-Vir-Park, Basav Nagar, Club Road, BELAGAVI(Karnataka) 590001**, guilty of Professional Misconduct falling within the meaning of Items (7) and (8) of Part I of Second Schedule to the aforesaid Act and consequently ordered for removal of name of **CA. C V Kittur (Membership No. 006970)** from the Register of Members for a period of 06(Six) months. In pursuance of the aforesaid Order of the Disciplinary Committee and in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of the aforesaid Act, read with Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations 1988, it is hereby notified that the name of **CA. C V Kittur (Membership No. 006970)** shall stand removed from the Register of Members for a period of 06(Six) months with effect from 11th November, 2022.

CA. (Dr.) JAI KUMAR BATRA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./389/2022-23]



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11112022-240214
CG-DL-E-11112022-240214

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 567]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 11, 2022/कार्तिक 20, 1944

No. 567]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 11, 2022/KARTIKA 20, 1944

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान
(संसदीय अधिनियम द्वारा स्थापित)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 नवम्बर, 2022

(चार्टर्ड अकाउंटेंट्स)

सं. पीआर/48ई/16-डीडी/227/2016/डीसी/1385/2020:—चार्टर्ड अकाउंटेंट (वृत्तिक और अन्य कदाचार के अन्वेषणों और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007 के नियम 18(17) और 19(1) के साथ पठित, चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 21ख(3) के उपबंधों के निबंधनानुसार अनुशासन समिति ने, सीए. बालासुब्रमण्यन एस (सदस्यता संख्या 020320), सी/ओ भाग्यम, कासल नंबर 20, रमन स्ट्रीट, टी नगर, चेन्नई 600017 को, पूर्वोक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची के भाग 1 की मद (7) और पहली अनुसूची के भाग 4 की मद (2) के अर्थान्तर्गत वृत्तिक और अन्य कदाचार का दोषी पाया है और इसके परिणामस्वरूप उपर्युक्त सीए. बालासुब्रमण्यन एस (सदस्यता संख्या 020320) के नाम को 06 (छह) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटाने का आदेश दिया है और 2,00,000/- रुपए (केवल दो लाख रुपए) का जुर्माना भी अधिरोपित किया है, जिसका संदाय 3 मास के भीतर किया जाना है और अनुबंधित समय के भीतर जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम की दशा में उसके नाम को अतिरिक्त 01 (एक) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटा दिया जाएगा। चूंकि, प्रत्यर्थी ने पहले ही अनुबंधित समय के भीतर अधिरोपित जुर्माने का संदाय कर दिया है, अतः अनुशासन समिति के पूर्वोक्त आदेश के अनुसरण में और चार्टर्ड अकाउंटेंट विनियम, 1988 के विनियम 18 के साथ पठित पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अधिसूचित किया

जाता है कि उक्त सीए. बालासुब्रमण्यन एस (सदस्यता संख्या 020320) का नाम, 11 नवंबर, 2022 से 06 (छह) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हट जाएगा।

सीए. (डा.) जय कुमार बत्रा, सचिव
[विज्ञापन III/4/असा./390/2022-23]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

(Set up by an Act of Parliament)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th November, 2022

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

No. PR/48E/16-DD/227/2016/DC/1385/2020.—In terms of the provisions of Section 21B(3) of the Chartered Accountants Act, 1949 read with Rules 18(17) and 19(1) of the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007, the Disciplinary Committee has held **CA. Balasubramanian S (Membership No. 020320), C/o Bhaggyam, Castle No. 20, Raman Street, T Nagar, CHENNAI 600017**, guilty of Professional and Other Misconduct falling within the meaning of Item (7) of Part I of Second Schedule and Item (2) of Part IV of First Schedule to the aforesaid Act and consequently ordered for removal of name of **CA. Balasubramanian S (Membership No. 020320)** from the Register of Members for a period of 06(Six) months and also imposed a fine of Rs. 2,00,000/- (Rupees Two Lakhs Only) to be paid within 3 (three) months and in case of default in payment of fine within stipulated time his name be removed for a period of additional 1(one) month. Since the Respondent has already paid the imposed fine within stipulated time, in pursuance of the aforesaid Order of the Disciplinary Committee and in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of the aforesaid Act, read with Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations 1988, it is hereby notified that the name of **CA. Balasubramanian S (Membership No. 020320)** shall stand removed from the Register of Members for a period of 06(Six) months with effect from 11th November, 2022.

CA. (Dr.) JAI KUMAR BATRA, Secy.
[ADVT.-III/4/Ext./390/2022-23]



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11112022-240217
CG-DL-E-11112022-240217

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 573]
No. 573]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 11, 2022/कार्तिक 20, 1944
NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 11, 2022/KARTIKA 20, 1944

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान
(संसदीय अधिनियम द्वारा स्थापित)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 11 नवम्बर, 2022
(चार्टर्ड अकाउंटेंट्स)

सं. पीआर-63/2014-डीडी/172/2014-डीसी/790/2018 और पीआर-267/2016-डीडी/292/2016-डीसी/1384/2020.—चार्टर्ड अकाउंटेंट (वृत्तिक और अन्य कदाचार के अन्वेषणों और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007 के नियम 18(17) और 19(1) के साथ पठित, चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 21ख(3) के उपबंधों के निबंधनानुसार अनुशासन समिति ने, सीए. चंदन सिंह चौहान (सदस्यता संख्या 401474), सी एस चौहान एंड एसोसिएट्स, फ्लैट नंबर ए 703, श्रीनिकेतन अपार्टमेंट, श्याम करण रोड, हैदराबाद (तेलंगाना) 500007 को, पूर्वोक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची के भाग 1 की मद (7) (मामला सं. पीआर-63/2014-डीडी/172/2014-डीसी/790/2018 में) और दूसरी अनुसूची के भाग 1 की मद (4), (6), (7) और (8) तथा भाग 2 की मद (1) तथा पहली अनुसूची के भाग 4 की मद (2) (मामला सं. पीआर-267/2016-डीडी/292/2016- डीसी /1384/2020 में) के अर्थान्तर्गत वृत्तिक और अन्य कदाचार का दोषी पाया है और इसके परिणामस्वरूप उपर्युक्त सीए. चंदन सिंह चौहान (सदस्यता संख्या 401474) के नाम को पहले मामले में 01 (एक) वर्ष की अवधि के लिए हटाए जाने का आदेश दिया और साथ ही केवल 25,000/- रुपए (पच्चीस हजार रुपए) का जुर्माना भी अधिरोपित किया है तथा दूसरे मामले में उसके नाम को 02 (दो) वर्ष की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटाए जाने का आदेश दिया और साथ ही केवल 25,000 रुपए (पच्चीस हजार रुपए) का जुर्माना भी अधिरोपित किया । अनुशासनात्मक समिति ने यह भी आदेश दिया कि यदि प्रत्यर्थी अनुबंधित समय अर्थात् 3 मास के

भीतर जुर्माना जमा करने में विफल रहता है उस दशा में उसके नाम को अतिरिक्त 01 (एक) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटा दिया जाएगा और समिति ने यह भी स्पष्ट किया कि उक्त दोनों मामलों में सजा एक साथ चलेगी। चूंकि, प्रत्यर्थी अनुबंधित समय के भीतर अधिरोपित जुर्माने का संदाय करने में असफल रहा है, अतः अनुशासन समिति के पूर्वोक्त आदेश के अनुसरण में और चार्टर्ड अकाउंटेंट विनियम, 1988 के विनियम 18 के साथ पठित पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त सीए. चंदन सिंह चौहान (सदस्यता संख्या 401474) का नाम, 11 नवंबर, 2022 से 02 (दो) वर्ष और अतिरिक्त 02 (दो) मास की समेकित अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हट जाएगा।

सीए. (डॉ.) जय कुमार बत्रा, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./396/2022-23]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

(Set up by an Act of Parliament)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th November, 2022

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

No. PR-63/2014-DD/172/2014-DC/790/2018 and PR-267/2016-DD/292/2016-DC/1384/2020.—In terms of the provisions of Section 21B(3) of the Chartered Accountants Act, 1949 read with Rules 18(17) and 19(1) of the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007, the Disciplinary Committee has held **CA. Chandan Singh Chauhan (Membership No. 401474), C S Chauhan And Associates, Flat No. A703, Sriniketan Apartment, Shyam Karan Road, HYDERABAD (Telangana) 500007**, guilty of Professional and Other Misconduct falling within the meaning of Item (7) of Part I of the Second Schedule(in case no. PR-63/2014-DD/172/2014-DC/790/2018) and Items (4),(6),(7) and (8) of Part I and Item (1) of Part II of Second Schedule and Item (2) of Part IV of the First Schedule (in case no. PR-267/2016-DD/292/2016-DC/1384/2020), to the aforesaid Act and consequently ordered for removal of the name of aforesaid **CA. Chandan Singh Chauhan (Membership No. 401474)** from the Register of Members for a period of 01(One) year alongwith a fine of Rs. 25,000/- (Rupees Twenty Five Thousand) only in respect of the first case and removal for a period of 02(two) years alongwith a fine of Rs. 25,000/- (Rupees Twenty Five Thousand) only in respect of the second case. The Disciplinary Committee also ordered that if the Respondent fails to deposit the fine within the stipulated time i.e. 3 months in the said cases, his name should be removed from the Register of Members for a further period of 01(one) month for each such said case and that the said punishments shall run concurrently in both the aforesaid cases. Since, the Respondent failed to deposit the imposed fine as stipulated in both cases, in pursuance thereof and in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of the aforesaid Act, read with Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified that the name of said **CA. Chandan Singh Chauhan (Membership No. 401474)**, shall stand removed for a consolidated period of 02(Two) years plus additional 02(Two) months from the Register of Members with effect from 11th November, 2022.

CA.(Dr.) JAI KUMAR BATRA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./396/2022-23]



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11112022-240218
CG-DL-E-11112022-240218

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 568]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 11, 2022/कार्तिक 20, 1944

No. 568]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 11, 2022/KARTIKA 20, 1944

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान
(संसदीय अधिनियम द्वारा स्थापित)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 नवम्बर, 2022

(चार्टर्ड अकाउंटेंट्स)

सं. पीपीआर/पी/170/17/डीडी/154/टीएमसी/आईएनएफ/17/डीसी/1214/2019:—चार्टर्ड अकाउंटेंट (वृत्तिक और अन्य कदाचार के अन्वेषणों और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007 के नियम 18(17) और 19(1) के साथ पठित, चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 21ख(3) के उपबंधों के निबंधनानुसार अनुशासन समिति ने, सीए. के श्रीधर रेड्डी (सदस्यता संख्या 221286), मकान नंबर नया 2-10-1622 (पुराना नंबर 2-10-1220), चैतन्यपुरी, करीमनगर (तेलंगाना) 505002 को, पूर्वोक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची के भाग 2 के खंड (1) के अर्थान्तर्गत वृत्तिक कदाचार का दोषी पाया है और इसके परिणामस्वरूप उपर्युक्त सीए. के श्रीधर रेड्डी (सदस्यता संख्या 221286) के नाम को 01 (एक) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटाने का आदेश दिया है और केवल 5,00,000/- रुपए (पांच लाख रुपए) का जुर्माना भी अधिरोपित किया है, जिसका संदाय 3 मास के भीतर किया जाना है और अनुबंधित समय के भीतर जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम की दशा में उसके नाम को अतिरिक्त 01 (एक) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटा दिया जाएगा। चूंकि, प्रत्यर्थी अनुबंधित समय के भीतर अधिरोपित जुर्माने का संदाय करने में असफल रहा है, अतः अनुशासन समिति के पूर्वोक्त आदेश के अनुसरण में और चार्टर्ड अकाउंटेंट विनियम, 1988 के विनियम 18 के साथ पठित पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अधिसूचित किया

जाता है कि उक्त सीए. के श्रीधर रेड्डी (सदस्यता संख्या 221286) का नाम, 11 नवंबर, 2022 से 2(दो) मास [1 (एक) मास और अतिरिक्त 01 (एक) मास] की समेकित अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हट जाएगा।

सीए. (डा.) जय कुमार बत्रा, सचिव
[विज्ञापन III/4/असा./391/2022-23]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

(Set up by an Act of Parliament)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th November, 2022

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

No. PPR/P/170/17/DD/154/TAMC/INF/17/DC/1214/2019:—In terms of the provisions of Section 21B(3) of the Chartered Accountants Act, 1949 read with Rules 18(17) and 19(1) of the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007, the Disciplinary Committee has held **CA. K Sridhar Reddy (Membership No. 221286), H No. New 2-10-1622(Old No. 2-10-1220), Chaitanyapuri, KARIMNAGAR (Telangana) 505002**, guilty of Professional Misconduct falling within the meaning of Clause (1) of Part II of Second Schedule to the aforesaid Act and consequently ordered for removal of name of **CA. K Sridhar Reddy (Membership No. 221286)** from the Register of Members for a period of 01(One) month and also imposed a fine of Rs. 5,00,000/-(Rupees Five Lakhs) only to be paid within 3 (three) months and in case of default in payment of fine within stipulated time, his name be removed for additional 1(one) month period. Since the Respondent had failed to pay the imposed fine within stipulated time, in pursuance of the aforesaid Order of the Disciplinary Committee and in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of the aforesaid Act, read with Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations 1988, it is hereby notified that the name of said **CA. K Sridhar Reddy (Membership No. 221286)**, shall stand removed from the Register of Members for a consolidated period of 02(Two) months [01(one) month plus additional 1(one) month] with effect from 11th November, 2022.

CA. (Dr.) JAI KUMAR BATRA, Secy.

[ADVT.-III/4/Ext.y./391/2022-23]



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11112022-240219
CG-DL-E-11112022-240219

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 569]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 11, 2022/कार्तिक 20, 1944

No. 569]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 11, 2022/KARTIKA 20, 1944

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान
(संसदीय अधिनियम द्वारा स्थापित)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 नवम्बर, 2022

(चार्टर्ड अकाउंटेंट्स)

सं. पीपीआर/पी/071/17/डीडी/59/टीएएमसी/आईएनएफ/17/डीसी/1273/2020.—चार्टर्ड अकाउंटेंट (वृत्तिक और अन्य कदाचार के अन्वेषणों और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007 के नियम 18(17) और 19(1) के साथ पठित, चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 21ख(3) के उपबंधों के निबंधनानुसार अनुशासन समिति ने, सीए. वालाडी वैद्यनाथन रामानाथन (सदस्यता संख्या 010291), संख्या 20 (पुराना नंबर 29), फ्लैट सी -2, बालाजी अपार्टमेंट, नीलकांता मेथा स्ट्रीट, चेन्नई 600017 को, पूर्वोक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची के भाग 2 के खंड (1) के अर्थान्तर्गत वृत्तिक कदाचार का दोषी पाया है और इसके परिणामस्वरूप उपर्युक्त सीए. वालाडी वैद्यनाथन रामानाथन (सदस्यता संख्या 010291) के नाम को 02 (दो) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटाने का आदेश दिया है और 5,00,000/- रुपए (पांच लाख रुपए) का जुर्माना भी अधिरोपित किया है, जिसका संदाय 3 मास के भीतर किया जाना है और अनुबंधित समय के भीतर जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम की दशा में उसके नाम को अतिरिक्त 01 (एक) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटा दिया जाएगा। चूंकि, प्रत्यर्थी अनुबंधित समय के भीतर अधिरोपित जुर्माने का संदाय करने में असफल रहा है, अतः अनुशासन समिति के पूर्वोक्त आदेश के अनुसरण में और चार्टर्ड अकाउंटेंट विनियम, 1988 के विनियम 18 के साथ पठित पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते

हुए यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त सीए. बालाडी वैद्यनाथन रामानाथन (सदस्यता संख्या 010291) का नाम, 11 नवंबर, 2022 से 03(तीन) मास [02 (दो) मास और अतिरिक्त 01 (एक) मास] की समेकित अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हट जाएगा।

सीए. (डा.) जय कुमार बत्रा, सचिव
[विज्ञापन III/4/असा./392/2022-23]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

(Set up by an Act of Parliament)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11 November, 2022

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

No. PPR/P/071/17/DD/59/TAMC/INF/17/DC/1273/2020.—In terms of the provisions of Section 21B(3) of the Chartered Accountants Act, 1949 read with Rules 18(17) and 19(1) of the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007, the Disciplinary Committee has held **CA. Valady Vaidhyanathan Ramanathan (Membership No. 010291), No. 20 (Old No. 29), Flat C-2, Balajee Apartments, Neelakanta Metha Street, CHENNAI 600017**, guilty of Professional Misconduct falling within the meaning of Clause (1) of Part II of Second Schedule to the aforesaid Act and consequently ordered for removal of name of **CA. Valady Vaidhyanathan Ramanathan (Membership No. 010291)** from the Register of Members for a period of 02(Two) months and also imposed a fine of Rs. 5,00,000/-(Rupees Five Lakhs) only to be paid within 3 (three) months and in case of default in payment of fine within stipulated time, his name be removed for additional 1(one) month. Since the Respondent had failed to pay the imposed fine within stipulated time, in pursuance of the aforesaid Order of the Disciplinary Committee and in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of the aforesaid Act, read with Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations 1988, it is hereby notified that the name of said **CA. Valady Vaidhyanathan Ramanathan (Membership No. 010291), shall stand removed from the Register of Members for a consolidated period of 03(Three) months [02(two) months plus additional 1(one) month] with effect from 11th November, 2022.**

CA. (Dr.) JAI KUMAR BATRA, Secy.

[ADVT.-III/4/Ext./392/2022-23]



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11112022-240222
CG-DL-E-11112022-240222

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 570]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 11, 2022/कार्तिक 20, 1944

No. 570]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 11, 2022/KARTIKA 20, 1944

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान
(संसदीय अधिनियम द्वारा स्थापित)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 नवम्बर, 2022

(चार्टर्ड अकाउंटेंट्स)

सं. पीपीआर/पी/30/डब्ल्यू/13/डीडी/36/आईएनएफ/2015/डीसी/701/2017.—चार्टर्ड अकाउंटेंट (वृत्तिक और अन्य कदाचार के अन्वेषणों और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007 के नियम 18(17) और 19(1) के साथ पठित, चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 21ख(3) के उपबंधों के निबंधनानुसार अनुशासन समिति ने, सीए. नवीनचंद्र विरजी गाड़ा (सदस्यता संख्या 123936), फ्लैट नंबर 201, दूसरी मंजिल, रतना तरंग सहकारी समिति, ए विंग, ओल्ड नगरदास रोड, अमरदीप नर्सिंग होम के ऊपर, अंधेरी (पूर्व), मुंबई 400069 को, पूर्वोक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची के भाग 1 के खंड (5), (7) और (9) के अर्थान्तर्गत वृत्तिक कदाचार का दोषी पाया है और इसके परिणामस्वरूप उपर्युक्त सीए. नवीनचंद्र विरजी गाड़ा (सदस्यता संख्या 123936) के नाम को 02 (दो) वर्ष की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटाने का आदेश दिया है और 50,000/- रुपए (केवल पचास हजार रुपए) का जुर्माना भी अधिरोपित किया है, जिसका भुगतान 30 दिनों के भीतर किया जाना है और जिसकी अभिपुष्टि अपीलीय प्राधिकरण द्वारा 5 अक्टूबर, 2022 को सुनाए गए अपने आदेश द्वारा की गई है। अतः अनुशासन समिति के पूर्वोक्त आदेश के अनुसरण में और चार्टर्ड अकाउंटेंट विनियम, 1988 के विनियम 18 के साथ पठित पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का

प्रयोग करते हुए यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त सीए. नवीनचंद्र विरजी गाड़ा (सदस्यता संख्या 123936) का नाम, 11 नवंबर, 2022 से 02 (दो) वर्ष की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हट जाएगा।

सीए. (डा.) जय कुमार बत्रा, सचिव
[विज्ञापन III/4/असा./393/2022-23]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

(Set up by an Act of Parliament)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th November, 2022

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

No. PPR/P/30/W/13/DD/36/INF/2015/DC/701/2017:—In terms of the provisions of Section 21B(3) of the Chartered Accountants Act, 1949 read with Rules 18(17) and 19(1) of the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007, the Disciplinary Committee has held **CA. Navinchandra Virji Gada (Membership No. 123936), Flat No. 201 2nd Floor, Ratna Tarang Co-operative Society, A wing, Old Nagardas Road, Above Amardeep Nursing Home, Andheri(East), MUMBAI 400069**, guilty of Professional Misconduct falling within the meaning of Clauses (5),(7) and (9) of Part I of Second Schedule to the aforesaid Act and consequently ordered for removal of name of **CA. Navinchandra Virji Gada (Membership No. 123936)** from the Register of Members for a period of 02(Two) years and also imposed a fine of Rs. 50,000/- (Rupees Fifty Thousand Only) to be paid within 30 days which is also upheld by the Appellate Authority vide its order pronounced on 5th October, 2022. In pursuance of the aforesaid Order of the Disciplinary Committee and in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of the aforesaid Act, read with Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations 1988, it is hereby notified that the name of **CA. Navinchandra Virji Gada (Membership No. 123936)** shall stand removed from the Register of Members for a period of 02(Two) years with effect from 11th November, 2022

CA. (Dr.) JAI KUMAR BATRA, Secy.

[ADVT.-III/4/Ext./393/2022-23]